न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 14/2010/223 आरटीए

भागीरथ पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
– अपीलांट

बनाम

1. रणजीत पुत्र मंगलाराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. भजनलाल पुत्र तुलछीराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. गिरदावरी पत्नि तुलछीराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. कलावती पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. मूर्ति पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. इन्द्रो पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
8. हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गोगामेडी जरिये प्रबन्धक।

––असल रेस्पो0

9. रामसिंह पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
10. शेरसिंह पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा मु.न. 140/17 अनवानी भागीरथ आदि बनाम रणजीत आदि

उपस्थित :–
श्री नरेन्द्रकिशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट
श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांक 30.07.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 9, 10 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश कर पैतृक भूमि जो कि रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज है, के संबंध मे घोषणा का अनुतोष चाहा गया। जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने इकबालदावे प्रस्तुत किये तथा प्रतिवादी सं. 7 पैरोकार राज ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दावा खारिज कर दिया कि ''वादग्रस्त भूमि को दादालाई पैतृक कृषि भूमि बताया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पाये जिससे कृषि भूमि दादालाई पैतृक साबित हो सके, अतः वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।'' उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून व न्याय सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात व कानूनी बिन्दू का विश्लेषण ना करते हुए नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट के दादा की पुरानी खातेदारी भूमि थी उक्त संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पति व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम सन् 1955 के अनुसार अपीलांट का भूमि बाई बर्थ राईट है तथा रेस्पो0 ने इकबाल दावा प्रस्तुत किया था यानि सहमति थी जिसमे अपीलांट का नियमानुसार हक व हिस्सा है। विचारण न्यायालय ने सहमति की तरफ कतई गौर नही किया तथा पारिवारिक राजीनामा व इकबालदावा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना चाहिए था परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना किसी कानूनी बिन्दू पर मौखिक नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है। पर्चा खतौनी मौजा भरवाना चक 1 जीजीएम से यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस के अन्त मे कथन किया कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान नही था क्योंकि अपीलांट को अभिभाषक ने कहा कि आपको हर तारीख पेशी पर आने की जरूरत नही है। अपीलांट/वादी दिनांक 30.01.18 को अपने अभिभाषक से मिला तो पता चला कि दावा का निर्णय हो चुका है तथा अपीलांट को पता चलते ही निर्णय की प्रति प्राप्त कर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद पेश की जा रही है। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन किया जाकर अपील ज्ञान से अन्दर मियाद मानी जावें। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया वाद वादीगण/अपीलांट डिक्री किया जावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यो स्वीकार करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज है तथा उक्त भूमि पैतृक भूमि है जिसमे अपीलांट व रेस्पो0 का हक व हिस्सा निहित है। रेस्पो0 सं. 4 ता 6 ने वादग्रस्त भूमि मे अपना हक व हिस्सा तर्क कर दिया है तथा रेस्पो. सं. 3 जो तुलछीराम की पत्नि ने अपना हक व हिस्सा रेस्पो0 सं. 2 के पक्ष मे तर्क कर दिया है। रेस्पो0 को अपीलांट का वाद डिक्री किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर वाद वादीगण/अपीलांट डिक्री किया जावें।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन

करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अपीलांट व रेस्पो0 सं. 9, 10 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश कर पैतृक भूमि जो कि रेस्पो0 सं. 1 के नाम दर्ज है, के संबंध मे घोषणा का अनुतोष चाहा गया। जिसमे प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने इकबालदावे प्रस्तुत किये तथा प्रतिवादी सं. 7 पैरोकार राज ने जवाबदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर दावा खारिज कर दिया कि ''वादग्रस्त भूमि को दादालाई पैतृक कृषि भूमि बताया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पाये जिससे कृषि भूमि दादालाई पैतृक साबित हो सके।'' जबकि वादपत्र मे पक्षकारान द्वारा इकबालदावे प्रस्तुत कर दावा डिक्री किये जाने मे अपनी सहमति प्रकट की थी। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने के संबंध मे अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दौराने बहस फार्म नं. 3 के साथ पर्चा खतौनी रोही मौजा चक 1 जीजीएम तहसील नोहर प्रस्तुत की है, जिसमे वादग्रस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 के पिता व अपीलांट के दादा मंगलाराम के नाम दर्ज है जो रेस्पो0 सं. 1 को अपने पिता मंगलाराम से प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमि दादालाई/पैतृक होनी सिद्ध है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाकर वाद अपीलांट/वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 अपास्त किया जाता है तथा अपीलांट/वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक 1 जीजीएम के मु.न. 14 कि.न. 4, 5, 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 3, 6 ता 25 कुल 8.513 है0 नहरी मय खाला खातेदारी भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 रणजीत के नाम से दर्ज है, मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 9 व 10 संयुक्त रूप से 3/5 हिस्से के बहिस्सा बराबर के व रेस्पो0 सं. 1 रणजीत 1/5 हिस्सा का एवं रेस्पो0 सं. 2 भजनलाल पुत्र तुलछीराम 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें। यदि वादग्रस्त भूमि बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमल दरामद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 14/2010/223 आरटीए

भागीरथ पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
– अपीलांट

बनाम

1. रणजीत पुत्र मंगलाराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. भजनलाल पुत्र तुलछीराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. गिरदावरी पत्नि तुलछीराम जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. कलावती पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. मूर्ति पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. इन्द्रो पुत्री रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
8. हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड गोगामेडी जरिये प्रबन्धक।

––असल रेस्पो0

9. रामसिंह पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।
10. शेरसिंह पुत्र रणजीत जाति गुजर निवासी भरवाना तहसील भादरा।

––तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा
मु.न. 140/17 अनवानी भागीरथ आदि बनाम रणजीत आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री नरेन्द्रकिशोर जोशी अधिवक्ता अपीलांट, श्री सत्यप्रकाश कायल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 अपास्त किया जाता है तथा अपीलांट/वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक 1 जीजीएम के मु.न. 14 कि.न. 4, 5, 6, 7, 13 ता 18, 23 ता 25 मु.न. 15 कि.न. 1 ता 3, 6 ता 25 कुल 8.513 है0 नहरी मय खाला खातेदारी भूमि जो रेस्पो0 सं. 1 रणजीत के नाम से दर्ज है, मे अपीलांट व रेस्पो0 सं. 9 व 10 संयुक्त रूप से 3/5 हिस्से के बहिस्सा बराबर के व रेस्पो0 सं. 1 रणजीत 1/5 हिस्सा का एवं रेस्पो0 सं. 2 भजनलाल पुत्र तुलछीराम 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें। यदि वादग्रस्त भूमि बैंक रहन है तो बैंक ऋण चुकता होने पर डिक्री का अमल दरामद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 30.07.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ